मियादी जमा नियम (2007)

1. उद्देशिका :

एक निर्दिष्ट अवधि के लिए किए जानेवाही जमा मियादी जमा के प्रवर्ग के तहत आती हैं । जमाकर्ता बैंक में किसी अवधि के लिए धन का निवेश करता है जो कि जमाकर्ता की अपेक्षानुसार किसी भी भावी तारीख को परिपक्व होगा ।

मियादी जमा 7 दिन से 120 महीनों तक की विभिन्न अवधियों के लिए किए जा सकते हैं । यदि जमा नाबालिगों के नाम किए जाते हों तो 120 महीनों से अधिक समय के लिए किए जा सकते हैं बशर्ते बैंक को विश्वास है कि नाबालिग के हितों की रक्षा करने के लिए यह आवश्यक है ।

2. पात्रता :

मियादी जमा निम्नलिखित द्वारा किए जा सकते हैं :

क. किसी व्यक्ति द्वारा अपने नाम पर
ख. दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त नाम पर जो
i. दोनों को या उत्तरजीवी(वियों) को

ii. दोनों में से एक या किसी एक या एक से अधिक को या उत्तरजीवी (वियों) को

ग. नाबालिग़ की ओर से नाबालिग के नैसर्गिक अभिभावक द्वारा

घ. नाबालिग की ओर से नाबालिग के नैसर्गिक अभिभावक द्वारा अपने और नाबालिग के संयुक्त नाम पऱ जोकि किसी एक को या उत्तरजीवी को देय हो

ङ. ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा नाबालिग के नाम पर, जो उक्त नावालिग के अभिभावक के रूप में सक्षम न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए हों

च. 10 साल या उससे अधिक आयु के किसी नाबालिग द्वारा अपने नाम पर जिसका परिचालन नाबालिग द्वारा ही किया जाए ।

छ. क्लब, संघ, समिति, शैक्षिक संस्थान और ऐसे अन्य उस प्रकार के निकायों द्वारा

ज. न्यासियो, निष्पादकों ,प्रशासकों और न्यायालयों द्वारा

झ. मालिकाना कंपनियों, साझेदारी कंपनियों और लिमिटेड कंपनियों द्वारा

ञ. केंद्रीय /राज्य सरकारी विभागों/निगमों/संगठनों, स्थानीय निकायों और साँविधिक प्राधिकरणों, अर्ध सरकारी निकायों आदि द्वारा
ट. इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के स्टाफ़ / भूतपूर्व स्टाफ़ द्वारा

3. वैयक्तिक खातों में विभिन्न अधिदेशों का महत्व
(उपर्युक्त पैरा 2 का अनुच्छेद बी)

दोनों में से कोई या उत्तरजीवी, कोई या उत्तरजीवी अधिदेश उस नियत तारीख़ को ही प्रभावी होगा जिस दिन जमा देय होती है । आवेदन में दर्शाए गए अनुसार निम्नलिखित घोषणा के हस्ताक्षरित होने पर ही परिपक्वता-पूर्व समापन या उत्तरजीवियों को अग्रिम देना व्यवहार्य हो सकता है ।

" बैंक सभी जमाकर्ताओं से संयुक्त रूप से लिखित आवेदन प्राप्त करके (यदि शेष रकम को संयुक्त रूप से भुगतान करने के अनुदेश हों तो)

' पहले' व्यक्ति द्वारा उनके जीवन काल के समय और उसके बाद उत्तरजीवियों (यदि " पहला या उत्तरजीवी" वाला अनुदेश हों) आवेदन प्राप्त करके
या

हममें से कोई या उत्तरजीवी(वियों) द्वारा या कोई या उत्तरजीवी(यदि दोनों में से कोई या उत्तरजीवी वाला अनुदेश हो
या
सभी जमाकर्ताओं द्वारी संयुक्त रूप से जब वे जीवित हों या उत्तरजीवीयों द्वारा (यदि शेष रकम दोनों या उत्तरजीवी (वियों) को सभी या उत्तरजीवी को भुगतान करने के अनुदेश हों तो) विवेकाधिकार के अनुसार और ऐसी शर्तों व निबंधनों के अनुसार जमा की प्रतिभूति पर ऋण /अग्रिम/उधार सुविधाएँ/प्रदान करने या आवेदक को जमा की संप्राप्तियों को परिपक्वता से पूर्व भुगतान करने के लिए अनुबद्ध किया गया हो ।

अधिदेश में कोई परिवर्तन या उसका प्रतिसंहरण सभी जमाकर्ताओं के संयुक्त हस्ताक्षर से ही किया जा सकता है ।

4. अशिक्षित और दृष्टिहीन व्यक्तियों के खाते

दृष्टिहीन व्यक्तियों या अशिक्षित व्यक्तियों के खाते उनके अंगूठे निशान सहित खोले जा सकते हैं । ऐसे व्यक्तियों को बैंक में आकर खाती खोलना चाहिए ताकि ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें और परिचालन के लिए सुरक्षा उपायों से अवगत हो सके।

5. नाबालिगों के खाते

कृपया बैंक से पता करें कि नाबालिग़ का अभिभावक कौन हो सकता है और उसके मुताबिक़ खाता खोलें । परिपक्वता पूर्व बंद करने, ऐसी जमा की प्रतिभूति पर ऋण लेने और चुकतान करने संबंधी विवरण के लिए भी बैंक से संपर्क करें ।

यदि 10 साल और उससे अधिक आयु के नाबालिग़ के नाम खाते खोले जाते हैं तो ऐसे खाते की प्रतिभूति पर न तो अग्रिम दिए जाएँगे और न ही उस जमा का परिपक्वता पूर्व भुगतान किया जाएगा ।

यदि नाबालिग़ की ओर से अभिभावक से खाता खोला जाता हो तो जमा नियत तारीख़ पर नैसर्गिक अभिभावक को देय होगा । फ़िर भी यदि नियत तारीख़ को या उससे पहले नाबालिग़ बालिग़ बन जाता है तो परिपक्व रकम निवर्तमान नाबालिग़ को अदा की जाएगी और अभिभावक को नहीं दी जाएगी , चाहे अभिभावक का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो या नहीं ।

नैसर्गिक संरक्षक द्वारा अपने और नाबालिग़ के नाम पर " दोनों में से कोई या उत्तरजीवी" अधिदेश सहित खोले गए खाते के संबंध में रकम देय तिथि को बालिग़ या नैसर्गिक संरक्षक को दी जाएगी ।

6. परिचय

बैंक के मौजूदा बचत /चालू/मियादी जमा खाते के खातेदार के मामले में, खाता खोलने के फ़ार्म में मौजूदा खाते का उल्लेख किया गया है तो बैंक परिचय देने पर ज़ोर नहीं देगा ।
यदि बैंक में पहले कोई खाता नहीं है , बैंक में खाता खोलने के लिए निम्नलिखित में से किसी के द्वारा संतोषजनक परिचय दिया जाना चाहिए ।

- बैंक को वर्तमान ग्राहक जो कम से कम 6 महीनों की अवधि के लिए खाते का परिचालन संतोषजनक रूप से कर रहा हो
- बैंक को सुपरिचित कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति
- बैंक के कोई स्थाई स्टाफ़ सदस्य
- दूसरा बैंक

7. खाता खोलने के लिए

खाता खोलने के लिए इच्छुक व्यक्ति को स्वयं बैंक में आना चाहिए । उन्हें बैंक के नियमों और खाता खोलने के आवेदन की एक प्रति दी जाएगी । अपेक्षित अनुसार फ़ार्म को विधिवत भरकर उसपर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए ।

व्यक्तियों और मालिक़ाना कंपनियों द्वारा खोले जानेवाले खातों के मामले में नामांकन देना होगा और जमाकर्ता को चाहिए कि खाता खोलते समय ही अपने विकल्पानुसार किसी ऐसे व्यक्ति को नामांकित करें, जो नाबालिग़ न हो । खाता खोलने के फ़ार्म के साथ ही संलग्न नामांकन फ़ार्म को भी विधिवत भरकर दें । एक से अधिक व्यक्तियों का नामांकन / आनुपातिक नामांकन नहीं किया जा सकता । बैंक के निर्धारित फ़ार्म में आवेदन देकर नामांकन में परिवर्तन किया जा सकता है ।

जिन ग्राहकों का इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में पहले कोई खाता नहीं है, उन्हें चाहिए कि खाता खोलते समय पासपोर्ट आकार के अपने दो फ़ोटो दें और खाते का परिचालन करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति की स्पष्ट सूचना देते हुए नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करें । बैंकों, स्थानीय निकायों, और सरकारी विभागों के संबंध में और रु.10000 तक की मियादी जमाओं के लिए फ़ोटो अपेक्षित नहीं है । आवेदन फ़ार्म में और नमूने हस्ताक्षर पत्र में सभी साझेदारों / निदेशकों / न्यासियों को हस्ताक्षर करना चाहिए । हस्ताक्षर साफ़ और सुपठनीय हों । बैंक के साथ सभी पत्राचार में बैंक को दिए गए प्राधिकार और नमूने हस्ताक्षर के मुताबिक़ ही होना चाहिए ।

नए ग्राहकों के मामले में, भा.रि.बैंक के " अपने ग्राहक को जानिए " मानदण्डों का अनुपालन करने के लिए हरेक ग्राहक को आवेदनों के साथ क्राप(Customers Record of Profile) फ़ार्म को भी विधिवत भरकर हस्ताक्षर करके देना चाहिए । ग्राहक द्वारा इस फ़ार्म को हर साल अद्यतन किया जाना है । बैंक साधारणतया निम्नलिखित प्रलेखों को पहचान और पता के लिए सबूत के रूप में स्वीकार करता है ।

- वर्तमान गैस कनेक्शन के कागज़ात
- टेलिफ़ोन बिल
- इलेक्ट्रिसिटी बिल
- मतदाता पहचान कार्ड
- वाहन चलाने का लाइसेंस
- पासपोर्ट
- बैंक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य कागज़ात

(फ़ोटो प्रति से साथ मूल प्रति भी प्रस्तुत की जानी है । बैंक जाँच करने के बाद मूल प्रति को लौटाएगा)

खाते से संबंधित सभी ग्राहकों को चाहिए कि खाता खोलने के आवेदन फ़ार्म में पैन (PAN) संख्या का उल्लेख करें । यदि उन्हें पैन संख्या आबंटित नहीं की गई है तो फ़ार्म 60 (कृष्येतर) या फ़ार्म 61 (कृषि) में घोषणा प्रस्तुत करें । संबंधित फ़ार्म बैंक में उपलब्ध होंगे ।

7.1 उपर्युक्त के अलावा, निम्तलिखित प्रकार के जमाकर्ताओं को जिनका बैंक के साथ पहले से संबंध नहीं है, बैंक को कुछ अतिरिक्त कागज़ात भी प्रस्तुत करना चाहिए ।

7.1.1. साझेदारी खाता

सभी साझेदारों द्वारा हस्ताक्षरित साझेदारी विलेख की एक प्रति । यदि साझेदारों ने साझेदारी विलेख नहीं बनाई है तो वे इस संबंध में घोषणा देकर बैंक में खाता खोल सकते हैं ।

7.1.2. हिंदु अविभक्त परिवार (हेचयूएफ़)

बैंक के मानक प्रारूप में कर्ता और सभी सह-समांशभागियों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र

7.1.3. लिमिटेड कंपनियाँ

क. निगमन प्रमाण पत्र की सत्य-प्रति
ख. कारोबार की शुरुआत के प्रमाण पत्र की सत्य प्रति
ग. कंपनी के अंतर्नियम और बहिर्नियम की अद्यतन प्रति

घ. बैंक में खाता खोलने के संबंध में और उसके परिचालन के संबंध में कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में पारित (परिचालन के द्वारा नहीं) और कंपनी के सचिव द्वारा प्रमाणित बौर्ड संकल्प की एक प्रति । संकल्प में बैंक का नाम, खाता खोलने और परिचालित करने के लिए और प्रतिभूतियों से संबंधित परिचालन जैसे लेनदेन करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम, आहरण, स्वीकृति, पृष्ठांकन करने के अधिकार आदि का स्पष्ट उल्लेख हो । बैंक के खाता खोलने के फ़ार्म में संकल्प की एक नमूना प्रति भी उपलब्ध है ।

(उपर्युक्त क, ख और ग का कंपनी के किसी निदेशक या सचिव द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए और जाँच करके वापस करने के लिए इनकी मूल प्रतियों को भी प्रस्तुत किया जाना है ।)

7.1.4. परिसमापक

परिसमापक को चाहिए कि परिसमापक के रूप में अपनी नियुक्ति के प्रमाण में कागज़ात प्रस्तुत करें ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि उसको परिसमापन के दौरान लेनदेन करने के अधिकार उपलब्ध हैं । स्वैच्छिक परिसमापन के मामले में, संकल्प की प्रमाणित प्रति और अनिवार्य परिसमापन के मामले में, न्यायालय का आदेश प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

7.1.5. न्यास

- न्यास विलेख की प्रमाणित प्रति
- जहाँ न्यास धर्मस्व न्यास होता है, धर्मार्थ आयुक्त से प्राप्त प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति
- जहाँ न्यास विलेख नहीं है, किसी सक्षम न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति
- खाते खोलने और परिचालन के संबंध में संकल्प की प्रमाणित प्रति
- वर्तमान न्यासियों की सूची प्रत्येक न्यासी के समग्र विवरण सहित

7.1.6. निष्पादक और परिसमापक

वसीयत प्रमाण पत्र या परिसमापन का पत्र

7.1.7. क्लब, सोसाइटी (सहकारी समितियाँ सहित), संघ, शैक्षिक संस्थान

1. नियमों, विनियमों, उप -नियमों, (जैसे भी हो), की प्रमाणित सत्य प्रति
2. पंजिकृत निकायों के मामले में, पंजीयन या निगमन के प्रमाण पत्रकी प्रमाणित सत्य प्रति (मूल प्रतियों को जाँच के बाद लौटाया जाएगा ।)
3. उस संकल्प की प्रमाणित नकल प्रति (प्रशासनिक बोर्ड या प्रबंधन समिति, या ऐसे किसी निकाय की जिस बैठक में संकल्प पारित किया गया हो,

उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित) जिसके अनुसार बैंक में खाता खोलने का प्राधिकार दिया गया था और जिसमें उक्त निकाय के नियमों और उपनियमों के अनुसार खाते का परिचालन करने के लिए प्राधिकृत पदाधिकारियों की सूची दी गई हो ।

4. सहकारी समिति के संबंध में तुलन पत्र की प्रति, यदि उपलब्ध हो ।
5. कुछ राज्यों में सहकारी बैंकों को छोड़कर अन्य बैंकों में खाता खोलने के लिए, सहकारी संस्थानों को सहकारी समितियों के पंजीयक से अनुमति लेनी पड़ती है । ऐसे मामलों में उस प्रकार की अनुमति प्रस्तुत की जानी है ।

7.1.7. सरकारी / अर्ध सरकारी विभाग

- ❖ विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की प्रति, जिसके मुताबिक़ संस्था / विभाग के कार्यपालक / पदाधिकारी को खाता खोलने और परिचालित करने की अनुमति दी गई हो ।
- ❖ सरकारी अधिसूचना / आदेश की प्रति, जिसके द्वारा संबंधित पदाधिकारी को खाता खोलने और परिचालित करने की अनुमति दी गई हो ।
- ❖ खाता खोलने और उन्हें परिचालित करने के संबंध में ऐसे कार्यपालक अधिकारीयों को प्रदत्त अधिकारों के संबंध में विभाग/स्थानीय निकाय द्वारा बनाए गए नियम व विनियम, यदि कोई हो, तो उसकी प्रमाणित प्रति

8. मियादी जमाओं के प्रकार

फ़िलहाल बैंक में निम्नप्रकार की मियादी जमाएँ उपलब्ध हैं ।

- ✓ ऐसी मियादी जमाएँ जो एकमुश्त जमा के रूप में निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती हैं, ताकि भविष्य में निर्धारित तारीख़ को परिपक्व होती हों । (अल्पावधि जमा, मियादी जमा, विशेष मियादी जमा (मासिक), पुनर्निवेश जमा योजना, नकदी प्रमाण पत्र, वार्षिक आय योजना)
- ✓ जहाँ सहमति के अनुसार कुछ महीनों के लिए अमुक रकम की जमा की जाती हो और सारी राशि भविष्य में निर्धारित तारीख़ को परिपक्व होती हो । (आवर्ती जमा, वैवाहिक जमा, शैक्षिक जमा, स्थाई आय योजना, संचयी लाभ जमा योजना, ईज़ी जमा योजना (अपने लिए अर्जन व बचत करें)
- ✓ जहाँ जमाकर्ता की सुविधानुसार किसी भी समय किसी भी रकम की जमा निश्चित अवधि के लिए किया जाता हो ताकि भविष्य में निश्चित तारीख़ को परिपक्व हो जाए (बहुविध जमा खाता, बहुविध निवेश योजना)

9. जमा रसीद / पास बुक जारी करना

जमा रसीदें बैंक के दो प्राधिकृत अधिकारीयों के हस्ताक्षर सहित बैंक के विशेष रूप से तैयार नक्काशी-युक्त फ़ार्म में जारी की जाएँगी । यदि किसी शाखा में एक ही अधिकारी हैं तो वे रसीद पर दो हस्ताक्षर करेंगे / करेंगी । जमा रसीद में जमाकर्ता का नाम व पता, जमा की गई रकम, जमा की अवधि. नियत तारीख़, परिपक्व होने पर देय रकम , जमा खाता संख्या और ब्याज दर दर्शाए जाते हैं । दोनों में से कोई या उत्तरजीवी, कोई या उत्तरजीवी जैसी चुकतान संबंधी शर्तें दर्शाई जाती हैं । नामांकन प्राप्त किए जाने से संबंधित उल्लेख भी किया जाता है ।

आवर्ती जमा / वैवाहिक जमा / शैक्षिक जमा / स्थाई आय योजना / संचयी लाभ जमा योजना / बहुविध जमा योजना / बहुविध निवेश योजना के मामले में बैंक पास बुक जारी करेगा जिसे हर जमा आहरण के बाद अद्यतन किया जाना है ।

जमा रसीद / पास बुक अंतरणीय नहीं है । इसलिए जमाकर्ता को नवीकरण / बंद करते समय / जमा की प्रतिभूति पर उधार लेते समय निर्बंध उन्मोचन दिया जाना है । रकम को किसी अन्य पार्टी को अंतरित करते हुए पृष्ठांकन नहीं किया जा सकता है । किसी अन्य पार्टी को या अन्य बैंक को जमा रकम अदा करने के अनुदेश दिए जाते हैं तो जमाकर्ता द्वारा एक पृथक पत्र के ज़रिए दिए जाने हैं और उसके साथ उन्मोचित जमा रसीद /पास बुक भी जारी किया जाना है ।

जमाकर्ता को चाहिए कि जमा रसीद प्राप्त होने पर जाँच कर लें कि क्या कोई गलती या भूल-चूक हुई है और यदि हो तो तत्काल बैंक के ध्यान में लाना चाहिए । जमाकर्ता जमा रसीद को सुरक्षित स्थान पर रखें क्योंकि इस संबंध में लापरवाही की वजह से भुगतान में गलती होती हो तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा ।जमा रसीद के लापता होने पर तत्काल बैंक के ध्यान में लाया जाना है । संगठन पता आदि में कोध परिवर्तन हो तो संबंधित प्रलेखों के साथ तत्काल जमा रसीद को प्रस्तुत किया जाए ताकि परिवर्तन नोट किए जा सके ।

जमा रसीद में जमाकर्ता या किसी अन्य पार्टी द्वारा कोई प्रविष्टि नहीं की जानी चाहिए । गलती से की गई प्रविष्टियों को या किसी मूर्त प्रमाण के बिना अवास्तविक पाई जानेवाली प्रविष्टियों में सुधार करने का अधिकार बैंक को ही है ।

मूल जमा रसीद के खो जाने पर या उसकी चोरी होने पर, यदि जमा बैंक के ग्रहणाधिकार (लियन) के तहत नहीं हो या किसी प्रयोजन से प्रतिभूति के रूप में बैंक के कब्ज़े में नहीं हो या सुरक्षित अभिरक्षा में नहीं रखी गई हो तो जमाकर्ता लिखित रूप में जमा रसीद की अनुलिपि के लिए आवेदन दे सकते हैं ।

बैंक में उपलब्ध प्रारूप में उपयुक्त स्टाम्प शुल्क अदा कर क्षतिपूर्ति पत्र पर हस्ताक्षर करके दिया जाना है । जमा रसीद की अनुलिपि जारी करने के लिए समय समय पर लागू अनुसार सेवा शुल्क प्रभारित किया जाएगा ।

10. मियादी जमाओं में नाम जोड़ना /हटाना

क. यदि जमा एक ही व्यक्ति के नाम पर हो तो उस जमाकर्ता के लिखित आवेदन पर नाम जोड़े जा सकते हैं ।

ख. यदि जमा पहले से ही दो या उससे अधिक व्यक्तियों के संयुक्त नाम पर (दोनों में से कोई या उत्तरजीवी, कोई या उत्तरजीवी सहित) हो तो सभी जमाकर्ताओं के लिखित आवेदन पर ही नामों को जोड़ा / हटाया जा सकता है ।

ग. यदि संयुक्त जमाकर्ताओं में से एक या अधिक जमाकर्ताओं की मृत्यु के बाद, उत्तरजीवी जमाकर्ता से नाम जोड़ने या काटने के आवेदन प्राप्त होते हों तो मृत जमाकर्ता और उत्तरजीवियों के कानूनी वारिसों से सहमति पत्र प्राप्त किया जाना है ।

घ. " पहला या उत्तरजीवी " खाते के मामले में पहले व्यक्ति को हटाने की अनुमति नहीं है ।

ङ. नाबालिग़ों के नाम रहे खातों में नाम जोड़ने या काटने की अनुमति नहीं है ।

च. जमा की अवधि में या जमा रकम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता ।

11.निक्षेपों का विभाजन

सभी संयुक्त जमाकर्ताओं से लिखित रूप में आवेदन प्राप्त कर जमाकर्ताओं की इच्छानुसार आनुपातिक रूप से प्रतेयेक जमाकर्ता के नाम जमाओं का विभाजन किया जा सकता है ।

ऐसा विभआजन परिपक्वता से पूर्व आहरण के रूप में नहीं माना जाएगा और दांडिक प्रभार वसूला नहीं जाएगा । विभाजित खातों की कुल जमा रकम मूल जमा की रकम से अधिक न हो, और ऐसे विभाजन से जमा की अवधि भी बढ़ाई नहीं जाए । विभाजित खातों के लिए मूल ब्याज दरें ही लागू होंगी ।

12. मियादी जमाओं को एक शाखा से दूसरी शाखा में अंतरित किया जा सकता है, बशर्ते जमाकर्ताओं से लिखित रूप में अनुदेश प्राप्त हो और अंतरण के लिए दिए गए कारणों से बैंक संतुष्ट हो । यदि जमा संयुक्त नाम पर हो तो सभी जमाकर्ताओं द्वारा अंतरण के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर किए जामे हैं. चाहे खाते के परिचालन के लिए दिए गए अधिदेश (दोनों में से कोई या उत्तरजीवी, कोई या उत्तरजीवी) कुछ भी हो । यदि सभी जमाकर्ता खाते के अंतरण के लिए एक जमाकर्ता को प्राधिकृत करते हैं तो बैंक उस जमाकर्ता के लिखित आवेदन पर अंतरण कर सकता है, जिसे प्राधिकृत किया गया है ।

13. ब्याज और जमाओं पर ब्याज का भुगतान

विभिन्न जमाओं पर विभिन्न अवधियों के लिए लागू ब्याज दर बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती हैं । इस संबंध में सूचना बैंक की शाखाओं में और बैंक के वेबसाइट wwidbin में उपलब्ध है ।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्ड दरों पर अतिरिक्त ब्याज दिया जाती है । जमाकर्ता अतिरिक्त ब्याज के विवरण प्राप्त करने के लिए वर्धन योजना का संदर्भ ले सकते हैं ।

तीन महीनों से कम अवधि के जमाओं पर या अंतिम तिमाही के अपूर्ण होने पर 365 दिन के आधार पर दैनिक आधार पर ब्याज दिया जाएगा ।

जमाकर्ता के विकल्पानुसार मासिक आधार पर ब्याज दिया जा सकता है और ऐसा ब्याज सामान्य दरों पर परिकलित ब्याज से कम होना है । इसकी वजह यह है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशानुसार तिमाही आधार पर ही ब्याज दिया जाना है और यदि मासिक रूप से भुगतान किया जाना है तो वह बट्टाकृत मूल्य पर होना चाहिए ।

ब्याज बैंक में रखे खातों में /अन्य बैंकों में रखे खातों में इलैक्ट्रानिक समाशोधन के ज़रिए जमा किया जा सकता है या अन्यथा जमाकर्ता के अनुदेशानुसार लागू सेवा प्रभार का वसूल करते हुए जमा किया जा सकता है ।

जब जमा की प्रतिभूति पर कोई अग्रिम दिया गया है, तो ब्याज ऋण/नकदी उधीर खाते में जमा किया जाएगा न कि जमाकर्ता के खाते में ।

14. अवकाश के दिन परिपक्व होनेवाली जमा

यदि परिपक्वता तारीख़ किसी अवकाश केदिन या गैर कारोबार दिवस को पड़ती है तो मूलतः निर्धारित दर में मात्र उक्त अवकाश या गैर कारोबार दिवस के लिए ब्याज दिया जाएगा चाहे जमाकर्ता परवर्ती कार्यदिवस को पुनर्भुगतान चाहता हो या उसके बाद ।

यदि संबंधित खाता पुनर्निवेश जमा योजना और आवर्ती जमा योजना के तहत हो तो ब्याज परिपक्वता मूल्य पर परिकलित किया जाएगा और यदि अन्य मियादी जमा योजनाओं के तहत हो तो जमा की मूल रकम पर । यह नियम देशी और अनिवासी जमाओं पर एक समान लागू है ।

15. ब्याज रकम से स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती

आय कर अधिनियं की धारा 194-ए के अनुसार यदि शाखावार रूप से किसी वित्तीय वर्ष के दौरान जमा की गई या भुगतान की गई ब्याज रकम रुपए दस हज़ार से अधिक हो तो बैंकों में रखी गई मियादी जमाओं (आवर्ती जमाओं को छोड़कर) पर लागू ब्याज से निर्धारित दरों में आय कर की कटौती की जाएगी । रुपए दस हज़ार की सीमा के परिकलन के लिए बैंक संबंधित लेखा वर्ष में जमाकर्ता के खातों में प्रोद्भूत ब्याज को भी हिसाब में लेगा । जमाकर्ता बैंक के नोटिस बोर्ड में

प्रदर्शित आय कर की दरों और समा संबंधी सूचनाओं से मार्गदर्शन लें । जमाकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से नोटिस नहीं भेजी जाएगी ।

संयुक्त जमा खातों के मामले में रुपए दस हज़ार की ब्याज रकम का परिकलन मात्र प्रथम जमाकर्ता के लिए होगा और तदनुसार कर की कटौती की जाएगी ।

नाबालिग़ के खातों के मामले में ब्याज रकम को माता-पिता या अभिरक्षक की जमाओं पर ब्याज के साथ जोड़ा जाएगा ।

जमाओं के पुनर्निवेश के मामले में (पुनर्निवेश जमा योजना, नकदी प्रमाण पत्र, बहुविध जमा खाता, बहुविध नवेश योजना) लेखा वर्ष की समाप्ति पर या आदाता के खाते में जमा करते समय या भुगतान करते समयय जे भी पहले हो, ब्याज से कर की कटौती की जाएगी । इस प्रावधान के अनुसार पुनर्निवेश जमा के संबंध में परिपक्वता मूल्य में परिवर्तन हौगा । जमाकर्ताओं को दो विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें से एक का चयन करतेहुए बैंक को पत्र दिया जा सकता है । विकल्प चुनने में या बैंक को विकल्प की सूचना देते हुए पत्र देने में विलंब हो तो भी बैंक कर की कटौती करने के लिए बाध्य होगा , क्योंकि यह साँविधिक अपेक्षा है ।

विकल्प I : कर की रकम जमाकर्ता के वर्तमान खाते (बचत या चालू) के नामे डाला जा सकता है, यदि जमा रसीद में उल्लिखित परिवक्वता मूल्य का भुगतान प्राप्त करने का विकल्प दिया गया हो

विकल्प II : यदि जमाकर्ता ने विकल्प I के अनुसार विकल्प नहीं दिया हो तो बैंक वित्तीय पर्ष के लिए पुनर्निवेश जमा खाते में प्रोद्भूत ब्याज से कर की कटौती करेगा, जिससे जमा रसीद में उल्लिखित परिपक्वता मूल्य में परिवर्तन हौगा ।

काटे गए कर के संबंध में बैंक फ़ार्म 16 ए में जमाकर्ताओं को एक प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

आय कर अधिनिया का धारा 197ए के अनुसार यदि घोषणा दी जाती हो को स्रोत पर आय-कर की कटौती नहीं की जाएगी ।

- जब कभी जमाकर्ता, कर की कटौती नहीं करने के लिए बैंक को प्राधिकृत करते हुए आय कर अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता हो
- यदि कोई व्यक्ति जो कंपनी या फ़र्म से अन्य है, इस प्रयोजन के लिए दो प्रतियों में फ़ार्म 15जी/15एच प्रस्तुत करता हो कि पिछले वर्ष उसकी कुल आय पर आक्कलित कर " शून्य " है ।

छूट :

निम्नलिखित के खातों में जमा या प्रदत्त ब्याज रकम में से कर की कटौती नहीं की जाएगी ।

क. कोई बैंकिंग कंपनी जिसपर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू हो या किसी सहकारी समिति बैंकिंग का कारोबार कर रही हो (सहकारी भूमि बंधक बैंक सहित)

ख. केंद्रीय या राज्य प्रांतीय अधिनियम के तहत संस्थापित कोई वित्तीय निगम

ग. भारतीय जीवन बीमा निगम

घ. यूनिट ट्रस्ट आफ़ इण्डिया

ङ. कोई कंपनी या सहकारी समिति जो बीमा का कारोबार कर रही हो

च. कोई अन्य संस्था या संघ या संस्थाओं या संघों का निकाय या ऐसे निकाय, जिन्हें केंद्रीय सरकार ने इस प्रयोजन की ओर से राजपत्र में अधिसूचित किया गया हो।

16. मासिक किस्तों का भुगतान

आवर्ती जमाओं, वैवाहिक जमाओं, शैक्षिक जमाओं, स्थाई आय योजना , संचयी लाभ जमा योजना के मामले में किसी कैलण्डर महीने से संबंधित

किस्त का भुगतान संबंधित महीने की अंतिम कार्य दिवस से पहले किया जाना चाहिए, जिससे चूकने पर बकाया किस्तों पर दंड लगाया जाएगा । संबंधित विवरण बैंक से प्राप्त किए जाएँ ।

17. जमाओं को परिपक्वता-पूर्व बंद करना

जमाकर्ताओं की लिखित अनुरोध पर और संयुक्त जमाओं (" कोई या उत्तरजीवी" , " पहला या उत्तरजीवी " सहित) के मामले में सभी जमाकर्ताओं के लिखित अनुरोध पर परिपक्वता तारीख से पहले जमाओं का पुनर्भुगतान बैंक के विवेकाधिकार से किया जा सकता है ।

यदि उस जमा पर कोई मासिक या तिमाही या अर्धवार्षिक या वार्षिक ब्याज पहले अदा किया गया हो तो परिपक्वता पूर्व जमा बंद करके भुगतान करने से परले उसे वसूल किया जाएगा ।

परिपक्वता पूर्व बंद करना	देय ब्याज
देशीय व अनिवासी सामान्य मियादी जमा क.रु.15 लाख से कम जमा यदि जमा करने या नवीकरण करने की तारीख़ से 15 दिन पूरे नहीं हुए हों और परिपक्वता पूर्व जमा बंद किया जाता हो	क. कोई ब्याज देय नहीं
ख. रु.15 लाख या उससे अधिक जमा यदि जमा करने या नवीकरण करने की तारीख़ से 7 दिन पूरे नहीं हुए हों और परिपक्वता पूर्व जमा बंद किया जाता हो	ख. कोई ब्याज देय नहीं ग. ।) समय-पूर्व जमा बंद करने के लिए दांडिक ब्याज नहीं है । जमा करने की तारीख़ को लागू अनुसार

ग. रु.15 लाख से कम जमाओं के मामले में यदि 15 दिन पूरे हुए हों और रु.15 लाख और उससे अधिक रकम की जमाओं के मामले में 7 दिन पूरे हुए हों,	जमा जितने दिन चालू रहा हो, उतने दिनों के लिए ब्याज देय है ।
।) यदि जमा रु.5 लाख तक हो ।।) यदि जमा रु.5 लाख से अधिक हो	।।) जमा करने की तारीख को लागू ब्याज दर से 1% कम ब्याज, जमा जितने दिन चालू रही हो, उतने दिनों के लिए देय है । वरिष्ठ नागरिकों को लिए लागू अतिरिक्त ब्याज और रु.15 लाख और उससे अधिक भारी रकम की जमाओं के लिए अतिरिक्त ब्याज, यदि कुछ हो, जमा के समय-गूर्व बंद किए जाने पर, देय नहीं है)।
घ. यदि किसी अतिदेय जमा, अतिदेय अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करके नवीकृत करने के बाद, नवीकरण की तारीख से, रु.15 लाख से कम जमाओं के मामले में 15 दिन पूर होने से पहले समय-पूर्व बंद किए जाते हैं और रु.15 लाख और उससे अधिक जमाओं के मामले में 7 दिन पूरे होने से पहले बंद किए जाते हैं तो	घ. नवीकृत जमा पर ब्याज देय नहीं है, बल्कि अतिदेय अवधि के लिए पहले प्रदत्त ब्याज को भी वसूल किया जाएगा । क. जमा पर ब्याज देय नहीं है ।
अनिवासी बाह्य मियादी जमा क. यदि जमा के खोले जाने या नवीकृत किए जाने की तारीख़ से एक साल पूरा नहीं हुआ हो और परिपक्वता-पूर्व बंद किया जाता हो	
ख. यदि जमा के खोले जाने या नवीकृत किए जाने की तारीख़ से	ख. जमा करने की तारीख़ को लागू ब्याज दर से 1% कम ब्याज, जमा जितने दिन के लिए चालू रही हो, उतने दिनों के लिए देय है । (रु.15 लाख और उससे अधिक रकम की भारी जमाओं के लिए लागू कोई अतिरिक्त ब्याज, यदि

एक साल पूरा हुआ हो और परिपक्वता-पूर्व बंद किया जाता हो ग. यदि कोई अतिदेय जमा पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करके नवीकृत करने के बाद, नवीकरण की तारीख़ से, एक साल पूरा होने से पहले समय-पूर्व बंद किया जाता हो	कुछ हो, जमा के समय-पूर्व बंद किए जाने पर देय नहीं है ।) ग. नवीकृत जमा पर ब्याज देय नहीं है, बल्कि अतिदेय अवधि के लिए पहले प्रदत्त ब्याज को भी वसूल किया जाएगा ।

18. नाबालिग़ों के निक्षेपों का परिपक्वता-पूर्व आहरण

नाबालिग़ों की जमाओं के मामले में परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते नैसर्गिक अभिभावक लिखित रूप में घोषणा करते हैं कि नाबालिग़ के लाभार्थ निधियाँ आवश्यक हैं । फिर भी, ऐसे मामलों को जहाँ नाबालिग़ जमा की परिपक्वता से पूर्व बालिग़ बन जाएगा, परिपक्वता पूर्व बंद करने के आवेदनों को शाखाओं द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय के ध्यान में लाया जाएगा ।

19. दिवंगत जमाकर्ता की जमा का परिपक्वता-पूर्व आहरण

यदि दिवंगत जमाकर्ता के कानूनी वारिस या प्रतिनिधि या नामिती चाहते हों कि जमा को परिपक्वता पूर्व बंद किया जाना है, दावे के निपटान से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करते हुए ऐसा किया जा सकता है । ऐसे मामलों में, जमा करने की तारीख़ को लागू ब्याज दर से 1% कम ब्याज, जमा जितने दिन चालू रही हो, उतने दिनों के लिए देय होगा ।

20. सावधि जमाओं का नवीकरण

जमाकर्ता की जानकारी के लिए जमा रसीद या पास बुक में जमा की परिपक्वता-तारीख़ का उल्लेख किया जाता है । जमाकर्ता और किसी रूप में परिपक्वता-तारीख़ की सूचनी हक के तौर पर माँग नहीं सकता । बहरहाल, परिपक्वता-तारीख़ से कुछ दिन पहले जमा के नवीकरण / भुगतान के निर्देश की अपेक्षा करते हुए बैंक एक परिपक्वता-सूचना भेजेगा ।

जमाकर्ता जब लिखित रूप में अनुरोध करते हैं, उनके अधिदेश के मुताबिक़ नवीकरण किया जाएगा । नवीकरण के अनुरोध किसी भी कोर बैंकिंग शाखा में दिए जा सकते हैं अगर जमा कोर बैंकिंग शाखा में हो । नवीकरण कुछ शर्तों के अधीन किया जाएगा । अन्यथा नवीकरण उसी शाखा में किए जा सकते हैं, जहाँ जमा रखी गई हो ।

जमाकर्ता जमा खोलने के दिन ही बैंक को समान अवधि के लिए स्वतः नवीकरण करने की सूचना दे सकते हैं और ऐसे नवीकरण परिपक्वता-तारीख़ को लागू ब्याज दर पर किए जाते हैं । ऐसे मामलों में, जमाकर्ता परिपक्वता की तारीख़ या तत्पश्चात किसी दिन जमा रसीद प्रस्तुत कर सकता है, ताकि जमा रसीद पर नवीकरण का उल्लेख किया जाए ।

21.परिपक्वता पूर्व नवीकरण

जब कभी जमाओं पर लागू ब्याज दरों में वृद्धि होती है, जमाकर्ता अधिक ब्याज दर का लाभ उठाने के लिए परिपक्वता से पूर्व अपनी जमाओं को बंद करने और नई जमा/एँ खोलने के लिए लिखित रूप में आवेदन दे सकते हैं ।

किसी जमा का परिपक्वता से पूर्व नवीकरण करना, जमा का परिपक्वता से पहले भुगतान के रूप में नहीं माना जाता बशर्ते मूल जमा की परिपक्वता के लिए बाकी समय से अधिक समय के लिए नवीकरण किया जाता हो । जमा खोलने की तारीख़ से ऐसे नवीकरण की तारीख़ तक की अवधि के लिए जमा खोलने की तारीख़ के लिए लागू रही ब्याज दर पर ब्याज का परिकलन किया जाएगा और 1 % दंड की कटौती नहीं की जाएगी ।

22. अतिदेय जमा : यदि किसी जमा का भुगतान या नवीकरण परिपक्वता तारीख को नहीं किया गया तो उसे अतिदेय जमा कहा जाता है। यदि किसी जमा का दावा परिपक्वता तारीख से 5 साल तक नहीं किया गया तो उस खाते को निष्क्रिय खाता माना जाएगा और उसे अदावी शेष खाते को अंतरित किया जाएगा ।

परिपक्वता तारीख के बाद किसी भी जमा के लिए ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि जमा का नवीकरण किया गया तो परिपक्वता तारीख के बाद ब्याज दिया जाएगा ।

यदि कोई जमाकर्ता अतिदेय जमा के एक अंश का नवीकरण करना चाहते हैं तो बैंक अतिदेय जमा के केवल उस अंश के लिए ब्याज देगा जिसे नवीकृत किया जा रहा है । जमा के नवीकरण पर देय ब्याज निम्नप्रकार हैः

अतिदेयता की अवधि	देय ब्याज
देशी, एनआरओ और एनआरई जमाएँ क. जनता, स्टाफ़ और वरिष्ठ नागरिकों से प्राप्त जमाओं पर परिपक्वता तारीख से 14 दिन (प्रस्तुति की तारीख और परिपक्वता तारीख को शामिल करते हुए) तक ख. जनता, स्टाफ़ और वरिष्ठ नागिरकों से प्राप्त जमाओं पर परिपक्वता तारीख से 14 दिन से अधिक दिनों की अतिदेयता अवधि के लिए	क. परिपक्वता तारीख से जमा का नवीकरण किया जा सकता है और परिपक्वता तारीख को लागू दर से ब्याज दिया जाएगा । जमा का नवीकरण आगे कम से कम 15 दिनों के लिए किया जाना है । (रु.15 लाख और उससे अधिक रकम के जमाओं के मामले में कम से कम 7 दिनों के लिए) ख. अतिदेय अवधि के लिए परिपक्वता तारीख या नवीकरण की तारीख को लागू

ग. यदि किसी नवीकृत अतिदेय जमा को परिपक्वता तारीख से 15 दिन पूरे होने से पहले (रु.15 लाख और उससे अधिक के जमा के मामले में 7 दिन पूरे होने से पहले और एनआरई मियादी जमा के मामले में 1 साल से पहले) बंद किया जाता है	सामान्य ब्याज दर पर (जो भी कम हो) ब्याज अलग रूप से दिया जाएगा । एनआरई जमाओं के मामले में यदि अतिदेयता अवधि एक साल से कम हो तो परिपक्वता तारीख या नवीकरण की तारीख को एक वर्ष के लिए लागू ब्याज दर पर जो भी कम हो ब्याज परिकलित किया जाए । जमा का नवीकरण (अतिदेय अवधि के लिए ब्याज सहित या ब्याज के बिना) नवीकरण तारीख से कम से कम 15 दिनों के लिए (रु.15 लाख और उससे अधिक की जमाओं के मामले में 7 दिनों के लिए और एनआरई जमाओं के मामले में 1 साल के लिए) किया जाना है । ऐसी जमा के लिए नवीकरण तारीख (प्रस्तुति तारीख) को लागू दर पर ब्याज दिया जाएगा । ग. नवीकृत जमा के लिए ब्याज नहीं दिया जाएगा और अतिदेय अवधि के लिए प्रदत्त ब्याज को भी वसूला जाएगा ।

23. जमाओं की प्रतिभूति पर अग्रिम

जिस शाखा में जमा खोली गई है उस शाखा से जमाकर्ता जमा की प्रतिभूति पर ऋण/ नकद उधार / अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं । मार्जिन अपेक्षा, ब्याज दर और अन्य औपचारिकताओं की जानकारी हेतु जमाकर्ता बैंक से संपर्क करें । जमाकर्ता या किसी अन्य पार्टी को दिए गए अग्रिमों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में जमाएँ दी जा सकती हैं ।

ऋण खाते के समायोजन के बाद ही परिपक्वता पर परिलब्धियों की रकम जमाकर्ता के खाते में जमा की जाएगी । यदि जमाकर्ता जमा पर ऋण की सुविधा जारी रखना चाहते हैं तो वे बैंक को इस प्रयोजन हेतु आवेदन दे सकते हैं ।

24. ग्रहणाधिकार की सूचना और समनुदेशन

जब बैंक की शाखाओं, राज्य या केंद्रीय सरकारी विभाग, आय कर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सरकारी जाँच अभिकरण, सक्षम न्यायालय और किसी अन्य सक्षम प्राधिकार से ग्रहणाधिकार नोटिस प्राप्त होती है , तो जमा जिस शाखा में है उसे ग्रहणाधिकार नोटिस को पंजीकृत करना चाहिए और जमाकर्ता को इसकी सूचना देनी चाहिए । ऐसे ग्रहणाधिकार के हटाए जाने से ही जमाकर्ताओं को जमा का भुगतान किया जाएगा ।

जमाकर्ता किसी अन्य पार्टी को देय उधार का वैध समनुदेशन कर सकते हैं और बैंक को पर्याप्त प्रमाण देते हैं तो बैंक समनुदेशन को नोट कर लेता है । समनुदेशन नोटिस में बैंक से जमाकर्ता को देय उधार को किसी निर्दिष्ट अन्य पार्टी को समनुदेशित करने की इच्छा स्पष्ट रूप से व्यक्त की जानी चाहिए । समनुदेशन के अनुसार भुगतान करने से पहले बैंक जमाकर्ता द्वारा खुद को देय रकम या उनके खाते में अतिदेय रकम जिसके लिए जमाकर्ता द्वारा समनुदेशन नोटिस की प्राप्ति के समय गारंटी दी गई थी , यदि कोई हो तो उसकी कटौती की जाएगी ।

25. जमाओं का भुगतान

आय कर अधिनियम की धारा 269-टी के अनुसार, जब कभी मियादी जमाकर्ताओं को मियादी जमाओं का भुगतान किया जाता है, यदि जमा की परिलब्धियाँ रु.बीस हज़ार या उससे अधिक हो या जमाकर्ता के सभी जमाओं की कुल परिलब्धियाँ रु.बीस हज़ार या उससे अधिक हो तो ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या जमाकर्ता के खाते को जमा के द्वारा ही शाखाएँ भुगतान करेंगी । यदि जमाकर्ता की कुल रकम ब्याज सहित रु. बीस हज़ार से कम होने पर ही जमाकर्ता परिलब्धियों का भुगतान नकद में माँग सकता है, बशर्ते वे निर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा प्रस्तुत करें जो बैंक के पास उपलब्ध है ।

यदि जमाकर्ता जमा रसीद जारी करनेवाली शाखा को छोड़कर किसी अन्य शाखा में जमा के नकदीकरण के लिए आवेदन देता हो तो उगाही प्रक्रिया के अनुसार लागू सेवा प्रभार वसूल करने के बाद ही भुगतान किया जाएगा ।

जब जमा की परिलब्धियाँ परिपक्वता तारीख को या परिपक्वता से पूर्व दूसरे उगाहीकर्ता बैंक के ज़रिए भुगतान की जाती हों तो उसे उगाही के रूप में मानकर लागू सेवा प्रभार वसूल किया जाएगा ।

26. दिवंगत जमाकर्ताओं के खाते

यदि जमा के लिए नामांकन किया गया हो तो वर्तमान नामांकन नियमों के अनुसार नामांकित व्यक्ति को भुगतान किया जाना है ।

यदि नामांकन नहीं किया गया हो तो साँविधिक प्रावधानों के अनुसार विधिक वारिसों को भुगतान किया जाना है ।

दिवंगत जमाकर्ताओं के मियादी जमाओं पर ब्याज, यदि परिपक्वता तारीख को भुगतान किया जाता है तो जमा के परिपक्व होने पर लागू दर के अनुसार किया जाना है ।

यदि परिपक्वता तारीख से पूर्व जमा के भुगतान के लिए माँग की जाती हो तो, परिपक्वता पूर्व समापन के लिए दंड लगाए बिना जिस अवधि के लिए जमा बैंक के साथ रही हो उस अवधि के लिए लागू अनुसार ब्याज का भुगतान किया जाएगा ।

यदि जमा की परिपक्वता से पूर्व जमाकर्ता की मृत्यु होती हो और परिपक्वता तारीख के बाद जमा के भुगतान के लिए दावा किया जाता हो तो संविदात्मक दर के अनुसार परिपक्वता तारीख तक ब्याज का भुगतान किया जाएगा । परिपक्वता तारीख से भुगतान की तारीख तक की अवधि के लिए परिपक्वता के दिन लागू रही सामान्य दर के अनुसार ब्याज का भुगतान किया जाना है । बहरहाल जमा के परिपक्व होने के बाद जमाकर्ता की मृत्यु होती हो तो परिपक्वता की तारीख से भुगतान की तारीख तक की अवधि के लिए बचत बैंक दर से (परिपक्वता तारीख को लागू अनुसार) ब्याज का भुगतान किया जाएगा ।

27. जमा रसीद की अनुलिपियाँ जारी करना

मूल जमा रसीद के गुम हो जाने पर या चुराए जाने पर और जब जमा खाता बैंक के ग्रहणाधिकार के तहत नहीं है और बैंक द्वारा किसी भी प्रयोजन के लिए रसीद को सुरक्षित अभिरक्षा में नहीं रखा गया है तो जमाकर्ता जमा रसीद की अनुलिपि जारी करने के लिए आवेदन दे सकते हैं । बैंक में उपलब्ध प्रारूप में उपयुक्त स्टांप शुल्क सहित क्षतिपूर्ति पत्र दिया जाना है ।

28. स्टाफ़ सदस्यों की जमा

स्टाफ़ सदस्यों की जमा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों और परिपत्रों के मुताबिक़ खोले और परिचालित किए जाएँगे ।

- ग्रहणाधिकार: बैंक को जमा रकम पर सर्वोच्च ग्रहणाधिकार / समंजन का अधिकार प्राप्त है और किसी भी हैसियत से जमाकर्ता की ओर से बैंक को वित्तीय दायित्व के लिए उस अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है ।
- निवासी प्रस्थिति में परिवर्तन: निवासी प्रस्थिति में परिवर्तन होने पर जमाकर्ताओं को विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत लिखित रूप में बैंक को सूचित करना है ।
- अभिलेखों का अनुरक्षण : खाते से संबंधित कंप्यूटर प्रिंट आउट / लेजर /अभिलेख विधि के अनुसार आवधिक रूप से नष्ट किए जाएँगे ।

29. ग्राहक के खाते की गोपनीयता

बैंक ग्राहक के खातों और लेनदेनों के विवरणों को गोपनीय रखता है । ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर जहाँ विधि या बैंकों में चालू प्रायिक प्रक्रियाओं के अनुसार उत्पन्न परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में ग्राहकों के खातों के विवरण प्रकट न किए जाएँ ।

30. नियमों में परिवर्तन

बैंक के पास नियमों में परिवर्तन करने या कुछ जोड़ने का अधिकार हमेशा प्राप्त है ।

ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि प्रभारों के अद्यतन सूची और नियमों में परिवर्तन संबंधी जानकारी के लिए बैंक से संपर्क करें ।

☆ ☆ ☆

हमारी जमा योजनाओं की विशेषताएँ

योजना	जमा की रकम	अवधि	ब्याज का भुगतान
अल्पावधि जमा	न्यूनतम एकमुश्त रकम रु.1000 और उससे अधिक रु.100 के गुणजों में	छः महीनों से कम अवधि के लिए न्यूनतम अवधि 15 दिन रु.1 लाख से अधिक जमाओं के लिए न्यूनतम अवधि 7 दिन	परिपक्वता तारीख को

मियादी जमा	न्यूनतम एकमुश्त रकम रु.1000 और उससे अधिक रु.100 के गुणजों में	छः महीनों से 120 महीनों तक	अक्तूबर व अप्रैल के प्रथम कार्य-दिवस को
विशेष मियादी जमा (त्रैमासिक)	न्यूनतम एकमुश्त रकम रु.1000 और उससे अधिक रु.100 के गुणजों में	छः महीनों से 120 महीनों तक	जनवरी, अप्रैल, जुलाई व अक्तूबर के प्रथम कार्य-दिवस को
विशिष्ट मियादी जमा (मासिक)	न्यूनतम एकमुश्त रकम रु.1000 और उससे अधिक रु.100 के गुणजों में	छः महीनों से 120 महीनों तक	हर महीने के प्रथम कार्य दिवस को जमा खोलने के महीने के परवर्ती महीने में बट्टागत दर में (साधारण ब्याज दर से कम)
वार्षिक आय योजना	रु.1000 न्यूनतम एकमुश्त रकम में और अधिकतम रकम प्रति वार्षिक भुगतान के आधार पर	न्यूनतम अवधि 24 महीने और अधिकतम अवधि 84 महीने	ब्याज त्रैमासिक रूप से चक्रवर्धित किया जाएगा और वार्षिक रूप से भुगतान किया जाएगा (बीमा प्रीमियम शुल्क जैसे वार्षिक भुगतान करने के लिए)
पुनर्निवेश जमा योजना	रु.1000 न्यूनतम एकमुश्त रकम और उससे अधिक रु.100 के गुणजों में	छः महीनों से 120 महीनों तक	अर्जित ब्याज को त्रैमासिक विरामों में चक्रवर्धित ब्याज अर्जित करने के लिए पुनर्निवेश किया जाता है और परिपक्वता पर भुगतान किया जाता है
नकदी प्रमाण पत्र	विषम मात्रा में जमा रकम ताकि परिपक्वता पर पूर्ण रकम प्राप्त हो (उदाः परिपक्वता पर	छः महीनों से 120 महीनों तक	अर्जित ब्याज को त्रैमासिक विरामों में चक्रवर्धित ब्याज अर्जित करने के लिए

	रु.500, 1000, 5000 या रु.10000 मिले ।		पुनर्निवेश किया जाता है और परिपक्वता पर भुगतान किया जाता है
अर्जित करें और अपने लिए बचत करें (ईज़ी) जमा	स्थूल रकम के रूप में प्रतिमाह न्यूनतम रूप से रु.100 और अधिकतम रूप से रु.10000. स्थूल रकम निर्धारित किए जाने के बाद उसके दस गुना तक प्रतिमाह जमा किया जा सकता है ।	छः महीनों से 120 महीनों तक	मियादी दरों पर ब्याज देय है और न्यूनतम शेष पर परिकलित किया जाएगा जैसे बचत बैंक में किया जाता है । निर्दिष्ट अवधि (जो 6 महीनों से 120 महीनों तक हो सकता है) के बाद जमा रकम ब्याज सहित वापस की जाएगी ।
बहुविध जमा खाता योजना ।	न्यूनतम रु.100 और उसके बाद रु.5 के गुणजों में	जमा खोलते समय जमा की अवधि निश्चित की जाए(6 महीनों से 120 महीनों तक) और प्रत्येक प्रेषण को समरूप समय के लिए रखा जाएगा ।	खाते में प्रत्येक प्रेषण व्यक्तिगत पुनर्निवेश जमा मानी जाएगी । अतः अर्जित ब्याज का पुनर्निवेश त्रैमासिक विरामों पर किया जाएगा ताकि चक्रवर्धित ब्याज दिया जाए और परिपक्वता पर दिया जाएँ ।
बहुविध जमा खाता योजना ।।	न्यूनतम रूप से रु.10000 और उसके बाद रु.1000 के गुणजों में	बहुविध जमा खाता योजना । के जैसी योजना। जमा सुविधानुसार यूनिट में किया जाता है और परिपक्वता पूर्व बंद करने से नकदीकृत की जानेवाली यूनिट पर ही दंड	बहुविध जमा खाता योजना । के जैसे ही ब्याज का परिकलन

		लगेगा ।	
बहुविध निवेश जमा योजना	न्यूनतम रूप से रु.100 और उसके बाद रु.5 के गुणजों में	6 महीनों से 120 महीनों तक। अनियमित अंतरालों में खाते में किए गए विभिन्न प्रेषण उस निर्दिष्ट परिपक्वता तारीख को परिपक्व होंगे, जिसे खाता खोलते समय निश्चित किया जाता है	बहुविध निवेश योजना में प्रत्येक प्रेषण व्यक्तिगत पुनर्निवेश जमा योजना के रूप में माना जाता है और अर्जित ब्याज का पुनर्निवेश किया जाता है जिसे चक्रवर्धित ब्याज दिया जाता है और परिपक्वता पर भुगतान किया जाता है । एक त्रैमासिक से कम समय के खंडित अवधि के लिए संचित रकम पर साधारण ब्याज दिया जाता है ।
आवर्ती जमा	प्रत्येक महीने निश्चित रकम । न्यूनतम रूप से रु.50 और तत्पश्चात रु.5 के गुणजों में	6 महीनों से लेकर 120 महीनों तक की निर्दिष्ट अवधि के लिए तीन मासिक अंतरालों के गुणजों में याने छः नौ, बारह, पंद्रह और तदनुसार	अर्जित आय को त्रैमासिक रूप से पुनर्निवेश किया जाएगा ताकि चक्रवर्धित ब्याज मिले और परिपक्वता पर भुगतान किया जाए ।
वैवाहिक जमा	प्रारंभिक रूप से निश्चित मासिक किस्त 12 महीनों तक चलेगी । परवर्ती दूसरे साल से प्रत्येक वर्ष में मासिक किस्त प्रारंभिक किस्त रकम जितनी है , उतनी ही बढ़ेगी। न्यूनतम रु.50 है	खाते 63 महीनों, 84 महीनों और 120 महीनों के लिए खोले जाते हैं ।	अर्जित आय को त्रैमासिक रूप से पुनर्निवेश किया जाएगा ताकि चक्रवर्धित ब्याज मिले और परिपक्वता पर भुगतान किया जाए ।

	और तत्पश्चात रु.5 के गुणजों में		चुकतानः अंतिम किस्त के देय होने और जमाकर्ता द्वारा भुगतान करने के 30 दिन बाद या परिपक्वता तारीख को, जो भी बाद में हो ।
शैक्षणिक जमा	निश्चित न्यूनतम रकम के गुणजों में मासिक किस्त । 63 महीनों की जमा के लिए रु.250 84 महीनों की जमा के लिए रु.350 प्रत्येक परवर्ती वर्ष को 63 महीनों की जमा के मामले में किस्त रकम का 1/5 अंश कम होता है और 84 महीनों की जमा के मामले में 1/7 अंश कम होता है ।	63 महीने या 84 महीने	हर त्रैमासिक ब्याज रकम का पुनर्निवेश कियाजाता है ताकि चक्रवर्धित ब्याज दिया जाए और परिपक्वता पर अदा किया जाए । चुकतानः जमाकर्ता को दो विकल्प दिए जाते हैं, जिसका अंतिम किस्त के भुगतान से पहले किसी भी समय प्रयोग किया जा सकता है । **विकल्प ।** पूरी मूल राशि ब्याज सहित परिपक्वता तारीख को या अंतिम किस्त के भुगतान से 30 दिन बाद जो भी बाद मे हो। **विकल्प ।।** मूल राशि ब्याज

			सहित वार्षिक किस्तों में लेना, याने 63 महीनों के जमा के मामले में तीन वार्षिक किस्तों में और 84 महीनों के जमा के मामले में चार वार्षिक किस्तों में
स्थाई आय योजना (आवर्ती जमा और विशेष मियादी जमा योजनाओं का सम्मिश्रण)	योजना का परिचालन दो चरणों में होता है । **चरण ।** जमाकर्ता बैंक को अमुक अवधि के लिए मासिक किस्त अदा करता है । उदाहरणार्थ 60, 84,96 महीनों के लिए **चरण ।।** बैंक जमाकर्ता को बोनस सहित मासिक / त्रैमासिक किस्तों में निश्चित रकम अदा करता है। उदाहरणार्थ 60,36,24 महीने मासिक किस्त रु.10 या उसके गुणजों में होते हैं ।	चरण । और चरण ।। दोनों की कुल अवधि 120 महीनों से अधिक नहीं होनी चाहिए ।	चरण । का ब्याज हर त्रैमासिक को पुनर्निवेश किया जाता है जिससे चक्रवर्धित ब्याज मिले जैसे आवर्ती जमा के मामले में होता है । चरण ।। में त्रैमासिक भुगतान के मामले में साधारण ब्याज और मासिक भुगतान के मामले में बट्टाकृत ब्याज
संचयी लाभ जमायोजना (आवर्ती जमा और पुनर्निवेश जमा योजनाओं का मेल)	न्यूनतम जमा रु.100 और उसके बाद रु.5 के गुणजों में	**योजना ।** आ.ज.1 वर्ष | पु.ज.यो. 4 वर्ष	प्रत्येक त्रैमासिक के ब्याज का पुनर्निवेश किया जाता है

		योजना II		जिससे चक्रवर्धित ब्याज मिले और परिपक्वता पर भुगतान किया जाता है ।
		आ.ज.2 वर्ष	पु.ज.यो. 3 वर्ष	
		योजना III		
		आ.ज.3 वर्ष	पु.ज.यो. 2 वर्ष	
		योजना IV		
		आ.ज.4 वर्ष	पु.ज.यो. 1 वर्ष	

पूँजीगत लाभ खाता योजना, 1988 के तहत मियादी जमाएँ

उपर्युक्त योजना के तहत प्राधिकृत शाखाओं में " जमा खाते योजना - ए " के अंतर्गत बचत बैंक और/या " जमा खाते - बी" के अंतर्गत मियादी जमा खाते खोले जा सकते हैं ।

जमाकर्ता उपर्युक्त योजना के विवरण, खाते में परिचालन, ब्याज दर आदि के विवरण के लिए बैंक से संपर्क करें ।

अस्थाई ब्याज दर जमा

ये जमाएँ न्यूनतम रूप से रु.1 लाख और उसके बाद रु.10000 के गुणजों में न्यूनतम रूप से तीन साल और अधिकतम रूप से दस साल के लिए की जा सकती हैं।

यह जमा विशेष स्थाई जमा के जैसा (त्रैमासिक ब्याज भुगतान) होगा । इस जमा पर ब्याज एक लंगर दर (anchor rate) से सहबद्ध है, जो जी सेक (GSec) दर होता है । तीन साल से पाँच साल तक की परिपक्वता अवधिवाली जमाओं के लिए ब्याज पाँच साल जी सेक दर पर होगा । 5 साल से अधिक और 10 साल तक की परिपक्वता आवधिवाली जमाओं के लिए ब्याज 10 साल जी सेक दर पर होगा । पिछले छः महीनों के लिए जी सेक दर के दैनिक औसत के आधार पर दर निर्धारित की जाएगी । हरेक वर्ष मार्च 1 तारीख और सितंबर 1 तारीख को परिशोधित दर लगाई जाएँगी । जमा खोलकर तीन साल पूरे हो गए तो परिपक्वता-पूर्व बंद करने की अनुमति दी जाती है और इस हेतु जमाकर्ता को चाहिए कि दस दिन पहले नोटिस दें । परिपक्वता-पूर्व जमा बंद करने पर निर्धारित दर से 1 प्रतिशत कम

ब्याज दिया जाता है । स्थाई जमा को बंद करके अस्थाई दर जमा में परिवर्तित किया जा सकता है । बंद किए जमा पर दंड लगाए बिना ब्याज दिया जाता है । अस्थाई जमा से स्थाई जमा में परिवर्तन अनुमत नहीं है ।

वर्धन योजना

यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा योजना है । अधिकतम रूप से पाँच साल तक जमा की जा सकती हैं । जमा की न्यूनतम रकम रुपए पाँच हज़ार है । एक ही शाखा में या विभिन्न शाखाओं में रखी गई रुपए पंद्रह लाख तक की जमाओं के लिए जमाकर्ता को 0.75% अधिक ब्याज मिलता है । केवल रु.पाँच लाख तक की जमाओं के परिपक्वता पूर्व बंद किए जाने पर अतिरिक्त ब्याज बनाई रखी जाएगी ।